



# क्रिसमस से पहले मिलों का मुंह मीठा कराएगी सरकार!

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

सरकार क्रिसमस से पहले शुगर इंडस्ट्री को बेलआउट पैकेज पर अंतिम फैसला कर सकती है। इस पैकेज में गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिलों को 7,200 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन भी शामिल है। फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

थॉमस ने डोमेस्टिक शुगर प्राइसेज में गिरावट पर भी चिंता जताई, जिसकी वजह से मिलों का कैश फ्लो कम हो गया है। चीनी की कीमत कम होने से मिलों को घाटा हो रहा है। शुगर का मार्केट प्राइस प्रॉडक्शन कॉस्ट से कम है। इसलिए मिलें गन्ने के लिए किसानों को पैसा नहीं दे पा रही हैं।

पिछले हफ्ते कृषि मंत्री शरद पवार की अगुवाई में बनाए गए मिनिस्ट्रियल पैनल ने मिलों को राहत पैकेज देने की सिफारिश की थी। उसका कहना है कि इससे मिलों के लिए गन्ना किसानों का पैसा चुकाना संभव होगा। मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 3,400 करोड़ रुपये बकाया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) की 79वीं सालाना आम बैठक में थॉमस ने कहा कि पैनल की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही फूड डिपार्टमेंट इंडस्ट्री को तत्काल राहत देने के बारे में कदम उठाएगा। इस बारे में पूछे जाने पर कि सरकार कब प्रपोज्ड राहत उपायों के बारे में अंतिम फैसला करेगी, थॉमस ने कहा, 'इसकी उम्मीद क्रिसमस से पहले की है।...हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हमारा डिपार्टमेंट एक नोट तैयार कर रहा है। इसे कैबिनेट में ले जाने से पहले, हम इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग

## इंटरेस्ट फ्री लोन देगी सरकार

- गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिलों को 7,200 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन मिलेगा
- चीनी की कीमत कम होने से मिलों को घाटा हो रहा है। मार्केट प्राइस प्रॉडक्शन कॉस्ट से कम है, इसलिए मिलें गन्ने के पैसे किसानों को नहीं दे पा रही हैं
- मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 3,400 करोड़ रुपये बकाया है

में चर्चा करेंगे।' थॉमस ने कहा कि यह तय हो चुका है कि बैंक शुगर इंडस्ट्री को 7,200 करोड़ का लोन देंगे।

यह लोन खासतौर पर गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने के लिए दिया जाएगा। बैंक पिछले तीन साल में मिलों की चुकाई गए एक्साइज ड्यूटी के बराबर लोन देंगे, जबकि इस पर लगने वाला 12 फीसदी इंटरेस्ट का बोझ आंशिक तौर पर भारत सरकार और शुगर डिवेलपमेंट फंड उठाएंगे। मिलों को अगले पांच साल में इन कर्जों का भुगतान करना होगा। हालांकि उन्हें शुरू के दो साल तक पेमेंट से छूट मिल सकती है। इंटरेस्ट फ्री लोन के अलावा, पैनल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के मुताबिक मिलों के लिए गए लोन रीकास्ट करने, 40 लाख टन राँ शुगर का प्रॉडक्शन करने और बफर स्टॉक तैयार करने के लिए इनसेंटिव देने की भी सिफारिश की है।

Economic times

12/12/13